

# समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)

फैक्स न०-0612-2218900

Email : dampatnaarmssection@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

## —: आदेश :—

श्री प्रदीप कुमार, पिता—श्री पारसनाथ सिंह, सा०—नवादा, पो०—मोबारकपुर, थाना—फुलवारीशरीफ, जिला—पटना से प्राप्त एक डी०बी०बी०एल० गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09-515/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1100/गो०, दिनांक—16.12.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति नहीं निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक की सभी श्रोतो से वार्षिक आय मात्र 57,000/— रुपये हैं। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कोई विशेष तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के साथ ही आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी०बी०बी०एल० गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री प्रदीप कुमार, पिता—श्री पारसनाथ सिंह, सा०—नवादा, पो०—मोबारकपुर, थाना—फुलवारीशरीफ, जिला—पटना के आवेदित एक डी०बी०बी०एल० गन अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।